कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2593 / FP/UK/ROAD/45839/2020 :देहरादूनः 16 मई, 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत थानों भोगपुर मोटर मार्ग के किमी0 3 पर 240 मीटर पी0एस0सी0 मोटर सेतु के निर्माण हेतु 0.986 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/45839/2020)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी/यू. सी.पी./06/97/2020/एफ0सी0/1089 दिनॉक 28–08–2020.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्रांक 4929/12–1 दिनांक 01.06.2021 (संलग्नक–1) द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही है:–

2. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि वन भूनि की विधिक परिस्थिति नहीं वदली जायेगी। (सलंग्नक–2)

3. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त स्वीकार्य होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है। (सलंग्नक–3)

4–प्रतिपूरक वनीकरणः

शर्त संख्या–3 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1972 वृक्षों के रोपण एवं 10 वर्षो तक अनुरक्षण हेतु ₹ 3,63,700.00 (₹ तीन लाख तिरेसठ हजार सात सौ) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है।

शर्त संख्या–3 (ख) के अनुपालन में 1972 वृक्षों के रोपण हेतु वृक्षारोपण क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, रोपण योजना, जियो–रेफरेंस मैप एवं डिजीटल मानचित्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–4)

5– शुद्ध वर्तमान मूल्यः

शर्त संख्या–5 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 7,19,780.00 (₹ सात लाख उन्नीस हजार सात सौ अस्सी) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में ऑन–लाईन चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है।

शर्त संख्या–5 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य में वढोत्तरी होने पर वढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी। (संलग्नक–5)

6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनवद्धता प्रस्तुत की गयी है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों का पातन न्यूनतम रखा जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 66 trees including 10 saplings रखी जायेगी एवं शर्त संख्या 06 का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक–6)

7. शर्त संख्या–7 का अनुालन किया जायेगा।

8. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार समस्त धनराशियाँ ऑन–लाईन पोर्टल पर कैम्पा कोष में जमा करायी गयी हैं, जिनकी Paid status की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–7)

9. शर्त संख्या–9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि एफ़आरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक–8)

10. शर्त संख्या–10 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाये जाने की वचनवद्धता संलग्न है। (संलग्नक–9)

11. शर्त संख्या–11 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक–10)

12. शर्त संख्या–12 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रस्ताव का ले–आऊट प्लान न बदलने की वचनवद्धता संलग्न है। (संलग्नक–11)

13. शर्त संख्या–13 के अनुपालन में वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित न करने की वनचबद्धता संलग्न है। (संलग्नक–12)

क्रमशः 2

14. शर्त संख्या–14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक–13)

15. शर्त संख्या–15 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा के परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक–14)

16. शर्त संख्या–16 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाये जाने की वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक–15)

17. शर्त संख्या–17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भसी कम हो, लक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–16)

18. शर्त संख्या–18 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–17)

19. शर्त संख्या–19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–18)

20. शर्त संख्या–20 के अनुपालन में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल सं0 11–42/2017–एफ0सी0 दि0 29.01.2018 के अनुसार ही कारवाई होने का वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक–19)

21. शर्त संख्या–21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–20)

22. शर्त संख्या–22 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण–पत्र दिया गया है कि प्रश्नगत परियोजना का निर्माण मैदानी क्षेत्र में मिट्टी का भरान कर किया जाना है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–21)

23. शर्त संख्या–23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–22)

24. शर्त संख्या–24 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक–23)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नः–यथोपरि।</u>

भवदीय,

16/5/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

<u>संख्या :– / FP/UK/ROAD/45839/2020 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश, देहरादून।

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

14. शर्त संख्या–14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है। **(संलग्नक–13)**

15. शर्त संख्या–15 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा के परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है। **(संलग्नक–14)**

16. शर्त संख्या–16 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निशपादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाये जाने की वचनबद्धता संलग्न है। **(संलग्नक–15)**

17. शर्त संख्या–17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भसी कम हो, लक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–16)**

18. शर्त संख्या–18 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–17)**

19. शर्त संख्या–19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–18)**

20. शर्त संख्या–20 के अनुपालन में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल सं0 11–42/2017–एफ0सी0 दि0 29.01.2018 के अनुसार ही कारवाई होने का वचनवबद्धता संलग्न है। **(संलग्नक–19)**

21. शर्त संख्या–21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–20)**

22. शर्त संख्या–22 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण–पत्र दिया गया है कि प्रश्नगत परियोजना का निर्माण मैदानी क्षेत्र में मिट्टी का भरान कर किया जाना है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–21)**

23. शर्त संख्या–23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–22)**

24. शर्त संख्या–24 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। **(संलग्नक–23)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

**<u>संलग्नः–यथोपरि।</u>**

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

**संख्या :–2593 / FP/UK/ROAD/45839/2020 तददिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश, देहरादून।

16/5/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।